

परिशिष्ट-I

आधार अधिनियम 2016 के प्रावधान

(पैराग्राफ सं 1.4 में संदर्भित)

| क्र. सं. | आधार अधिनियम 2016 की अनुच्छेद सं. | अधिनियम विवरण | क्या विनियमन विद्यमान है ? | विनियमन विवरण | पारिस्थितिकी तंत्र |
|----------|-----------------------------------|--|----------------------------|---|--|
| 1 | 2(एए)* | "आधार पारिस्थितिकी तंत्र" में नामांकन संस्थायें, निबंधक, अनुरोध करने वाली संस्थायें, ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था तथा कोई अन्य संस्था या संस्थाओं का समूह समाहित है जैसा कि नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है; | आंशिक | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 तथा आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 ऑफलाइन सत्यापन के लिए विनियमन में कोई संशोधन नहीं है। | नामांकन एवं अद्यतन (ई एंड यू) तथा प्रमाणीकरण |
| 2 | 2(पीए)* | "ऑफलाइन सत्यापन" का अर्थ है बिना प्रमाणीकरण के आधार संख्या धारक की पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया - ऐसे ऑफलाइन मोड के माध्यम से जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं। | नहीं | ऑफलाइन सत्यापन हेतु विनियमन में कोई संशोधन नहीं है। | प्रमाणीकरण |
| 3 | 2(जी) 54(2)(ए) | "बायोमेट्रिक सूचनाओं" का अर्थ है फोटोग्राफ, फिंगर प्रिंट, आइरिस स्कैन, अथवा किसी व्यक्ति की ऐसी अन्य जैविक विशेषताएं जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की संख्या 02) | ई एंड यू |
| 4 | 2(जे) | "कोर बायोमेट्रिक सूचनाओं" का अर्थ है फिंगर प्रिंट, आइरिस स्कैन, अथवा किसी व्यक्ति की ऐसी अन्य जैविक विशेषता जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की संख्या 02) | ई एंड यू |
| 5 | 2(के) 54(2)(ए) | "जनसांख्यिकीय सूचनाओं" में किसी व्यक्ति के नाम, जन्म तिथि, पता एवं अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित सूचनार्यें समाहित है, जैसा कि आधार | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की संख्या 02) | ई एंड यू |

| क्र. सं. | आधार अधिनियम 2016 की अनुच्छेद सं. | अधिनियम विवरण | क्या विनियमन विद्यमान है ? | विनियमन विवरण | पारिस्थितिकी तंत्र |
|----------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------|
| | | संख्या जारी करने के उद्देश्य से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें वंश, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के अभिलेख, आय अथवा चिकित्सा इतिहास समाहित नहीं होगा। | | | |
| 6 | 2(एम) 54(2)(ए) | "नामांकन" का अर्थ है प्रक्रिया, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है, इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक सूचनायें एकत्र करना। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की संख्या 02) | ई एंड यू |
| 7 | 3(2) | नामांकन एजेंसी, नामांकन के समय, निम्नलिखित विवरणों के नामांकन कराने वाले व्यक्ति को इस तरह से सूचित करेगी जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, अर्थात्: - (ए) जिस विधि से जानकारी का उपयोग किया जाएगा। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की संख्या 02) | ई एंड यू |
| 8 | 3(3) 54(2) (बी) | उप-धारा (1) के अंतर्गत जनसांख्यिकीय सूचनायें एवं बायोमेट्रिक सूचनायें प्राप्त होने पर, प्राधिकरण जानकारी को सत्यापित करने के पश्चात्, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट विधि से, ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या जारी करेगा। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की संख्या 02) [खंड 10 एवं 13(2)] तथा 6वां संशोधन | ई एंड यू |
| 9 | 3(4) * 54(2) (बीई) | उप-धारा (3) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जारी की गई आधार संख्या बारह अंकों की पहचान संख्या होगी तथा किसी व्यक्ति की वास्तविक आधार संख्या के विकल्प के रूप में कोई | हाँ | आधार संख्या शब्द में वर्चुअल आईडी भी समाहित है। | आधार |

| क्र. सं. | आधार अधिनियम 2016 की अनुच्छेद सं. | अधिनियम विवरण | क्या विनियमन विद्यमान है ? | विनियमन विवरण | पारिस्थितिकी तंत्र |
|----------|-----------------------------------|--|----------------------------|---|--------------------|
| | | वैकल्पिक आभासी पहचान प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार से तैयार की जाएगी जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हो सकता है। | | | |
| 10 | 3ए(2) * 54(2) (बीबी) | एक बच्चा जो आधार संख्या धारक है, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के छह महीने की अवधि के अंदर, प्राधिकरण को अपनी आधार संख्या को निरस्त करने के लिए आवेदन कर सकता है, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है तथा प्राधिकरण उसका आधार नंबर निरस्त करेगा। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (आठवां संशोधन विनियम 2020)। (2020 का 3 दिनांक 30 जून 2020) | ई एंड यू |
| 11 | 4(3) 54(2) (सी) | एक आधार संख्या, प्रमाणीकरण एवं अन्य प्रतिबंधों के अधीन भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, किसी भी उद्देश्य हेतु आधार संख्या धारक की पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार की जा सकती है। <i>* के रूप में प्रतिस्थापित</i> प्रत्येक आधार संख्या धारक अपनी पहचान स्थापित करने के लिए, स्वेच्छा से अपने आधार संख्या का उपयोग इस प्रकार से जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रमाणीकरण अथवा ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से, अथवा ऐसे अन्य रूप में कर सकता है जिसे अधिसूचित किया जा सकता है। | हाँ | आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 (2016 की संख्या 03) (12/09/16) ऑफलाइन सत्यापन हेतु विनियमन में कोई संशोधन नहीं है। | प्रमाणीकरण |

| क्र. सं. | आधार अधिनियम 2016 की अनुच्छेद सं. | अधिनियम विवरण | क्या विनियमन विद्यमान है ? | विनियमन विवरण | पारिस्थितिकी तंत्र |
|----------|-----------------------------------|--|----------------------------|---|--------------------|
| 12 | 4(4) * 54(2) (सीए) | एक इकाई को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है, यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि अनुरोध करने वाली इकाई है- (ए) नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट गोपनीयता एवं सुरक्षा के ऐसे मानकों की अनुपालक है; | हाँ | आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 (2016 की संख्या 03) (12/09/16) | प्रमाणीकरण |
| 13 | 4(5) * 54(2) (सीओबी) | प्राधिकरण, विनियमों द्वारा, यह निर्णय कर सकता है कि अनुरोध करने वाली संस्था को प्रमाणीकरण के दौरान वास्तविक आधार संख्या अथवा मात्र एक वैकल्पिक आभासी पहचान के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। | हाँ | मात्र एक वैकल्पिक वर्चुअल नंबर के उपयोग हेतु कोई विनियमन नहीं है। यद्यपि, प्रमाणीकरण नियमों के अंतर्गत आधार संख्या के उपयोग की अनुमति है एवं आधार संख्या में वर्चुअल नंबर (संशोधन के अनुसार) समाहित है। | प्रमाणीकरण |
| 14 | 5 54(2) (डी) | प्राधिकरण महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, अकुशल व असंगठित कामगारों, खानाबदोश जनजातियों अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों को जिनके पास कोई स्थायी आवास नहीं है एवं ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्गों को आधार संख्या जारी करने के लिए विशेष उपाय करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की संख्या 02) | ई एंड यू |
| 15 | 6 54(2)(ई) | प्राधिकरण को आधार संख्या धारकों से समय-समय पर अपनी जनसांख्यिकीय सूचनाओं एवं बायोमेट्रिक सूचनाओं को इस प्रकार से अद्यतन करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसी कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है, ताकि केंद्रीय पहचान डेटा संग्राहक में उनकी सूचनाओं की निरंतर विशुद्धता सुनिश्चित हो सके। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की संख्या 02) बच्चों का बायो मात्र | ई एंड यू |

| क्र. सं. | आधार अधिनियम 2016 की अनुच्छेद सं. | अधिनियम विवरण | क्या विनियमन विद्यमान है ? | विनियमन विवरण | पारिस्थितिकी तंत्र |
|----------|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--------------------|
| 16 | 8(1) 54(2) (एफ) | प्राधिकरण किसी भी अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा प्रस्तुत आधार संख्या धारक के आधार संख्या के संबंध में उसकी बायोमेट्रिक सूचनाओं अथवा जनसांख्यिकीय सूचनाओं का प्रमाणीकरण, ऐसी प्रतिबंधों के अधीन तथा ऐसे शुल्कों के भुगतान पर एवं इस प्रकार से जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, कर सकता है। | हाँ | आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 (2016 की संख्या 03) (खंड 12(7)) | प्रमाणीकरण |
| 17 | 8(2)(ए) 54(2) (एफ) * | एक अनुरोध करने वाली संस्था- जब तक इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करेगी अथवा बच्चे के प्रकरण में प्रमाणीकरण के प्रयोजनों हेतु उसकी पहचान की सूचनाएँ एकत्र करने से पूर्व उसके माता-पिता अथवा अभिभावक की सहमति प्राप्त करेगी जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। | हाँ | आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 (2016 की संख्या 03) (खंड 16) | प्रमाणीकरण |
| 18 | 8(2) (बी) * 54(2) (एफ ए) | "प्रावधान है कि अनुरोध करने वाली संस्था, रुग्णता, चोट अथवा दुर्बलता के कारण वृद्धावस्था अथवा अन्यथा अथवा किसी तकनीकी या अन्य कारणों से प्रमाणित करने में विफलता के प्रकरण में, व्यक्ति की पहचान के ऐसे वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधन प्रदान करेगी, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।" | नहीं | किसी व्यक्ति की पहचान के वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधन प्रदान करने हेतु विनियमों में कोई संशोधन नहीं पाया गया। | प्रमाणीकरण |
| 19 | 8(3) 54(2) (एफ) | एक अनुरोध करने वाली संस्था, इस प्रकार से जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, प्रमाणीकरण के लिए अपनी पहचान की जानकारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के प्रमाणीकरण के संबंध में निम्नलिखित विवरण, अर्थात्:- (ए) प्रमाणीकरण पर साझा की जा सकने | हाँ | आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 (2016 की संख्या 03) | प्रमाणीकरण |

| क्र. सं. | आधार अधिनियम 2016 की अनुच्छेद सं. | अधिनियम विवरण | क्या विनियमन विद्यमान है ? | विनियमन विवरण | पारिस्थितिकी तंत्र |
|----------|-----------------------------------|---|----------------------------|---|--------------------|
| | | वाली सूचनाओं की प्रकृति; (बी) प्रमाणीकरण के दौरान प्राप्त सूचनाओं का उपयोग अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा किया जा सकता है; तथा (सी) अनुरोध करने वाली इकाई को पहचान की जानकारी जमा करने के विकल्प, सूचित करेगी। | | | |
| 20 | 8ए (2)(ए) * | प्रत्येक ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था, - (ए) ऑफलाइन सत्यापन करने से पूर्व, किसी व्यक्ति, या बच्चे के प्रकरण में, उसके माता-पिता या अभिभावक की सहमति प्राप्त करेगी, जैसा कि नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। | आंशिक | ऑफलाइन सत्यापन के लिए विनियमन में कोई संशोधन नहीं है, यद्यपि अन्य प्रकरणों में यह प्रमाणीकरण विनियमन में उपलब्ध है। | प्रमाणीकरण |
| 21 | 8ए (3) * | ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था ऑफलाइन सत्यापन के दौर से गुजर रहे व्यक्ति को, या बच्चे के प्रकरण में, उसके माता-पिता या अभिभावक को, ऑफलाइन सत्यापन के संबंध में निम्नलिखित विवरणों को इस प्रकार से सूचित करेगी, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, | आंशिक | ऑफलाइन सत्यापन के लिए विनियमन में कोई संशोधन नहीं है, यद्यपि अन्य प्रकरणों में यह प्रमाणीकरण विनियमन में उपलब्ध है। | प्रमाणीकरण |
| 22 | 8ए (4) (सी) * | कोई भी ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था- (सी) उस पर किसी भी दायित्व के विपरीत कोई कार्रवाई नहीं करेगी जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। | नहीं | ऑफलाइन सत्यापन के लिए विनियमन में कोई संशोधन नहीं है। | प्रमाणीकरण |
| 23 | 10 54(2) (जी) | प्राधिकरण एक या एक से अधिक संस्थाओं को केंद्रीय पहचान डेटा संग्राहक स्थापित करने एवं बनाए रखने तथा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी अन्य कार्यों को करने के लिए नियुक्त कर सकता है। | हाँ | आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम 2016 (2016 की संख्या 04) | आईएस /टेक |

| क्र. सं. | आधार अधिनियम 2016 की अनुच्छेद सं. | अधिनियम विवरण | क्या विनियमन विद्यमान है ? | विनियमन विवरण | पारिस्थितिकी तंत्र |
|----------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------|
| | | उसके संग्रह व सत्यापन के लिए प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करना; | | | |
| 28 | 23(2) (बी) * | उप-धारा (1) के पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्मिलित हैं- (बी) आधार संख्या की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति से जनसांख्यिकीय सूचनार्ये तथा बायोमेट्रिक सूचनार्ये एकत्र करना, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (खंड 3,4,5,10) तथा 6वां, 7वां संशोधन। | ई एंड यू |
| 29 | 23(2)(एफ) * 54(2)(के) | उप-धारा (1) के पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्मिलित हैं- ((एफ) केंद्रीय पहचान डेटा संग्राहक में व्यक्तियों की सूचनाओं को इस प्रकार से बनाए रखना एवं अद्यतन करना जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की संख्या 2) | ई एंड यू |
| 30 | 23(2) (जी) 54(2)(ल) | उप-धारा (1) के पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्मिलित हैं- (जी) आधार संख्या एवं उससे संबंधित जानकारी को इस प्रकार से हटाना एवं निष्क्रिय करना जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की संख्या 2) (खंड 27, 28) | ई एंड यू |
| 31 | 23(2) (आई) 54(2) (एन) | उप-धारा (1) के पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्मिलित हैं- (आई) विनियमों द्वारा, निबंधकों, नामांकन एजेंसियों तथा सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए नियम व प्रतिबंध एवं उनकी नियुक्तियों का निरसन, विनिर्दिष्ट करना। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की संख्या 2) तथा दूसरा एवं चौथा संशोधन | ई एंड यू |

| क्र. सं. | आधार अधिनियम 2016 की अनुच्छेद सं. | अधिनियम विवरण | क्या विनियमन विद्यमान है ? | विनियमन विवरण | पारिस्थितिकी तंत्र |
|----------|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--------------------|
| 32 | 23(2) (के) 54(2) (ओ) | उप-धारा (1) के पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, आधार संख्या धारकों की सूचनार्यें, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं, साझा करना सम्मिलित है। | हाँ | आधार (सूचना साझा करना) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 05) | आई एस |
| 33 | 23(2) (एम) 54(2) (पी) | उप-धारा (1) के पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्मिलित हैं- (एम) विनियमों द्वारा, इस अधिनियम के अंतर्गत डेटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं अन्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा उपायों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करना। | हाँ | आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम 2016 (2016 की संख्या 04) | आई एस |
| 34 | 23(2) (एन) 54(2) (क्यू) | उप-धारा (1) के पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्मिलित हैं- (एन) विनियमों द्वारा, विद्यमान आधार संख्या धारक को नई आधार संख्या जारी करने के लिए प्रतिबंधों एवं प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करना। | नहीं | <i>यूआईडीएआई के नामांकन एवं अद्यतन विभाग ने सूचित किया कि अधिनियम में प्रावधान का उद्देश्य उन्हें नहीं जात था।</i> | ई एंड यू |
| 35 | 23(2) (ओ) 54(2) (आर) | उप-धारा (1) के पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्मिलित हैं- (ओ) शुल्क लगाना एवं एकत्र करना अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत निबंधकों, नामांकन संस्थाओं या अन्य सेवा प्रदाताओं को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं हेतु ऐसा शुल्क एकत्र करने के लिए अधिकृत करना जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की संख्या 2) | ई एंड यू |
| 36 | 23(2) (आर) 54(2) (एस) | उप-धारा (1) के पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्मिलित हैं- (आर) निबंधकों, नामांकन संस्थाओं | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की | ई एंड यू |

| क्र. सं. | आधार अधिनियम 2016 की अनुच्छेद सं. | अधिनियम विवरण | क्या विनियमन विद्यमान है ? | विनियमन विवरण | पारिस्थितिकी तंत्र |
|----------|-----------------------------------|--|----------------------------|---|--------------------|
| | | एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए विनियमों, नीतियों तथा प्रथाओं को विकसित एवं निर्दिष्ट करना। | | संख्या 2) | |
| 37 | 28(3) | प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आवश्यक उपाय करेगा कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत पहुँच, उपयोग या प्रकटीकरण अनुमत्य नहीं है, तथा आकस्मिक अथवा जानबूझकर विनाश, हानि या क्षति के विरुद्ध प्राधिकरण के आधिपत्य अथवा नियंत्रण में सूचनाएँ, जिसमें केंद्रीय पहचान डेटा संग्राहक में संग्रहीत जानकारी सम्मिलित है, संरक्षित एवं सुरक्षित हैं। | हाँ | आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम 2016 (2016 की संख्या 04) | आई एस |
| 38 | 28(5) * 54(2) (टी) | प्रावधान है कि आधार संख्या धारक प्राधिकरण से उसे अपनी मूल बायोमेट्रिक सूचनाओं को छोड़कर अपनी पहचान की सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करने का अनुरोध कर सकता है, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। | हाँ | आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 (2016 की संख्या 03) [खंड 28] | प्रमाणीकरण |
| 39 | 29(2) 54(2) (यू) | इस अधिनियम के अंतर्गत एकत्रित अथवा सृजित की गई मूल बायोमेट्रिक सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य पहचान सूचनाओं को मात्र इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा ऐसे तरीके से साझा किया जा सकता है जैसा विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। | हाँ | आधार (सूचना साझा करना) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 05) | आई एस |
| 40 | 29(4) | आधार संख्या धारक के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत एकत्रित अथवा सृजित की गई कोई आधार संख्या या कोर बायोमेट्रिक सूचनार्ये सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या पोस्ट नहीं की जायेगी मात्र उन उद्देश्यों के जो | हाँ | आधार (सूचना साझा करना) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 05) [खंड 6] | आई एस |

| क्र. सं. | आधार अधिनियम 2016 की अनुच्छेद सं. | अधिनियम विवरण | क्या विनियमन विद्यमान है ? | विनियमन विवरण | पारिस्थितिकी तंत्र |
|----------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------|
| | | विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। | | | |
| 41 | 31 (1) 54(2) (वी) | यदि आधार संख्या धारक की कोई जनसांख्यिकीय सूचना गलत पाई जाती है अथवा पश्चात् में परिवर्तित हो जाती है, तो आधार संख्या धारक प्राधिकरण से केंद्रीय पहचान डेटा संग्राहक में अपने अभिलेख में ऐसी जनसांख्यिकीय सूचना को इस प्रकार से बदलने का अनुरोध करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की संख्या 2) तथा संशोधन (सातवाँ, छठवाँ) | ई एंड यू |
| 42 | 31(2) 54(2) (वी) | यदि आधार संख्या धारक की कोई बायोमेट्रिक सूचना नष्ट हो जाती है अथवा पश्चात् में किसी भी कारण से परिवर्तित जाती है, तो आधार संख्या धारक प्राधिकरण से केंद्रीय पहचान डेटा संग्राहक में अपने अभिलेख में इस प्रकार से आवश्यक परिवर्तन करने का अनुरोध करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की संख्या 2) तथा संशोधन (सातवाँ, छठवाँ) | ई एंड यू |
| 43 | 31(4) | इस अधिनियम अथवा इस संबंध में बनाए गए नियमों में प्रदान की गई विधि को छोड़कर केंद्रीय पहचान डेटा संग्राहक में कोई पहचान सूचना नहीं परिवर्तित की जाएगी। | आंशिक | परिवर्तन को सम्मिलित करने हेतु प्रमाणीकरण विनियम (सीएल 26) में कोई संशोधन नहीं पाया गया। | प्रमाणीकरण |
| 44 | 32 (1) 54(2) (डब्ल्यू) | प्राधिकरण प्रमाणीकरण अभिलेख इस प्रकार से तथा ऐसी अवधि हेतु अनुरक्षित करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। | हाँ | आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 (2016 की संख्या 03) | प्रमाणीकरण |
| 45 | 32 (2) 54(2) | प्रत्येक आधार संख्या धारक अपने प्रमाणीकरण अभिलेख को इस प्रकार | हाँ | आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 | प्रमाणीकरण |

| क्र. सं. | आधार अधिनियम 2016 की अनुच्छेद सं. | अधिनियम विवरण | क्या विनियमन विद्यमान है ? | विनियमन विवरण | पारिस्थितिकी तंत्र |
|----------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------|
| | (डब्ल्यू) | से प्राप्त करने का अधिकारी होगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। | | (2016 की संख्या 03) | |
| 46 | 37 | जो कोई भी, नामांकन या प्रमाणीकरण के दौरान एकत्र की गई किसी भी पहचान की जानकारी का जानबूझकर खुलासा, प्रसारित, प्रतिलिपि या अन्यथा किसी भी व्यक्ति को प्रसार करता है जो इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अधिकृत नहीं है या इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किए गए किसी अनुबंध या व्यवस्था के उल्लंघन में है, कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या अर्थदंड जो दस हजार रुपए तक हो सकता है अथवा कंपनी के प्रकरण में, एक लाख रुपए तक के अर्थदंड या दोनों दंडनीय होगा। | हाँ | अधिनियम का भाग एवं प्रमाणीकरण विनियमों, डेटा साझाकरण विनियमों तथा सूचना विनियमों के साझाकरण में सम्मिलित है। | आई एस |
| 47 | 54(2) (एक्स) | कोई अन्य प्रकरण जो होना आवश्यक है, अथवा हो सकता है, निर्दिष्ट किया जा सकता है, या जिसके संबंध में प्रावधान किया जाना है या विनियमों द्वारा किया जा सकता है। | हाँ | आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016 (2016 की संख्या 2) विनियम संख्या 10(2) एवं सातवाँ संशोधन | ई एंड यू |

परिशिष्ट-I आधार एवं अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम (दिनांक 23 जुलाई 2019)⁵¹ तथा यू आई डी ए आई द्वारा 31 मार्च 2020 तक जारी किए गए विभिन्न विनियमों में संबंधित प्रावधानों सहित आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016, ("आधार अधिनियम 2016") की आवश्यकताओं को दर्शाता है।

* आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 (2019 की संख्या 9) (दिनांक 02 मार्च 2019) द्वारा आधार अधिनियम 2016 में संशोधन के अनुसार विनियमों की आवश्यकता को दर्शाता है, जो आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम बन गए हैं (दिनांक 23 जुलाई 2019)।

⁵¹ आधार एवं अन्य विधि (संशोधन) अध्यादेश 2019 (2019 की संख्या 9) (दिनांक 02 मार्च 2019)